न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 05/2017 अपील (GCMS/2017/00005)
पंजीयन दिनांक - 23.02.2017
निर्णय दिनांक - 28.10.2020

1. श्री प्यारचन्द पिता श्री नानालाल धाकड़, निवासी निम्बोदा, पोस्ट जावदा (निमड़ी), तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत बालकुण्डी कला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बलकुण्डी पंचायती समिति भैसरोड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।
2. भूमिधारी, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-2

प्रकरण संख्या-29/2014, में प्यारचन्द धाकड़ बनाम सरपंच ग्राम पंचायत व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2015 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 28.10.2020

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा प्रकरण संख्या-29/2014, में प्यारचन्द धाकड़ बनाम सरपंच ग्राम पंचायत व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.06.2015 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम निम्बोदा तहसील रावतभाटा में नवीन सेटलमेंट अभियान के अनुसार सेटलमेंट में नये नम्बरों में आराजी संख्या-150 के 420 रकबा 208.58 है. बने और उक्त

आराजी को चारागाह में परिवर्तित कर दिया। उक्त आराजी पूर्व में बिलानाम काबिल काश्त अंकित थी, जिसका उक्त आराजी नम्बर 150 में से उसकी 5 बीघा जमीन दिनांक 17.06. 1992 को अलोट हुई थी। अलोटमेंट के आधार पर उसको कब्जा दिया गया तभी से वह उक्त आराजीयात पर काश्त कर रहा है। प्रार्थी/अपीलार्थी ने आराजी संख्या-420 रकबा 208.58 है. में से 5 बीघा जमीन को पुनः खाते लगाने के लिये निवेदन किया।

- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट बलकुण्डीकला में रखी जाकर निर्णय दिनांक 18.06.2015 से प्रार्थना पत्र खारिज कर निर्णय दिया कि ''प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। ग्राम निम्बोदा पटवार हल्का बलकुण्डीकला तहसील रावतभाटा में प्रार्थी को दिनांक 17.05.1992 को खसरा संख्या-150 में 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। जो वर्तमान में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक राजस्व/सा.प्र.आ./12-6(8)/04/602 दिनांक 13. 04.2004 को उक्त आराजी नम्बर सार्वजनिक चारागाह हेतु सेटअपार्ट की गई। माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिये गये आदेश पर सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से पत्रावली पर सुनवाई किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी अवस्था पर खारिज किया जाता है।''

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2015 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 03.02. 2017 को प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए अपील दिनांक 23.02.2017 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से अभिलेख मंगवाये गये। वकील प्रत्यर्थी-2 राजकीय पेरोकार उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 19.10. 2020 को सुनी गई। वकील अपीलार्थी अनुपस्थित परन्तु लिखित बहस पूर्व में पेशशुदा।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित बहस में प्रस्तुत किया है कि ग्राम निम्बोदा तहसील रावतभाटा में नवीन सेटलमेंट अभियान के अनुसास सेटलमेंट में नये नम्बरों में आराजी संख्या-150 के 420 रकबा 208.58 है. बने और उक्त आराजी को चारागाह में परिवर्तित कर दिया। उक्त आराजी पूर्व में बिलानाम काबिल काश्त अंकित थी, जिसका

उक्त आराजी नम्बर 150 में से उसकी 5 बीघा जमीन दिनांक 17.06.1992 को अलोट हुई थी। अलोटमेंट के आधार पर उसको कब्जा दिया गया तभी से वह उक्त आराजीयात पर काश्त कर रहा है। प्रार्थी/अपीलार्थी ने आराजी संख्या-420 रकबा 208.58 है. में से 5 बीघा जमीन को पुनः खाते किया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के जवाब को सही मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी द्वारा आवंटन उपरान्त हर वर्ष फसल बो कर जमीन का उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त गत आराजी नम्बर 150 के नये नम्बर 420 रकबा 05 बीघा बना, उस पर विगत 24 वर्षों से निरन्तर अपीलार्थी का फसली कब्जा किन्तु उक्त आवंटन के तत्काल बाद सेटलमेंट चला, इस कारण उक्त आवंटित आराजी के राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज नहीं होने से उक्त वादग्रस्त आराजीयात बिलानाम दर्ज हो गई, जिसे सुधार किया जाना आवश्यक है। आलौच्य निर्णय दिनांक 18.06.2015 की जानकारी अपीलार्थी को राजस्व केम्प में ही हो गई थी जिस पर नकल हेतु प्रार्थना पत्र भी दिनांक 13.07.2015 को पेश कर नकल प्राप्त कर ली परन्तु अपीलार्थी के बीमार होने से अपील एक माह में प्रस्तुत नहीं की जा सकी, ऐसे में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 पृथक से प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त स्थिति में मध्यनजर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर वादग्रस्त आराजीयात का इन्तकाल खोलकर राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश प्रदान करावें।

राजकीय पेरोकार (प्रत्यर्थी-2) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत होने एवं सभी तथ्यों के परीक्षण व विश्लेषण उपरान्त पारित किये जाने का कथन कर अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है, प्रस्तुत कारण संतोषप्रद नहीं है। अपीलार्थी द्वारा वांछित दाद धारा-136 भू-राजस्व अधिनियम की हद से बाहर है। अपीलार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 की आड़ में हक व अधिकार तय कराना चाहता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं दौराने अपील प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर परिशीलन किया।

यहा सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु पर भी विवेचन किया जाना उचित होगा। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके

आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये है कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। इस प्रकरण में वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय समक्ष केम्प कोर्ट में अपीलार्थी ने उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया और आलौच्य निर्णय से अपीलार्थी को ससमय जानकारी थी, परन्तु अग्रिम कार्यवाही निर्धारित समयावधि में नही की गई। निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकर्ड से परे जाकर अभिवचन कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है उपरोक्त विवेचनानुसार ऐसी अपील जो निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गई, विधि सम्मत नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित समझते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं दौराने अपील प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर परिशीलन किया। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया और अनुतोष चाहा गया कि ग्राम निम्बोदा तहसील रावतभाटा में स्थित पुराने आराजी नम्बर 150 रकबा 227.31 हैक्टर जिसके नवीन सेटलमेंट में आ.न. 420 रकबा 208.58 हैक्टर मे से 5 बीघा भूमि कमी रकबा कर मुझ प्रार्थी के नाम अंकन फरमाया जावें। प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 की आड़ में विवादित भूमि पर अपना हक एवं अधिकार तय कराना चाहता है, जो अविधिक है एवं वांछित दाद धारा-136 भू-राजस्व अधिनियम की हद एवं दायरे से बाहर है।

अतः उपरोक्त सम्रग विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी मयाद बाहर होने से एवं पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर